


पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०सं०-50-29

क्रमांक-230/2017

सं० ई/50/1/भाग-VI/चार

दिनांक 06-11-2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिशेष रेलवे भूमि का उपयोग।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 2017/एलएमएल-1/16/1 दिनांक 12.10.2017 की अंग्रेजी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू० पी० सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूजरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूजरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर०-02 प्रतियों में।
- 6- मुकायाधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

49

PCE, PCPO

230/2017

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

महाप्रबन्धक कार्यालय
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
20 OCT 2017
12

No. 2017/LML-II/16/1

New Delhi, dated 12.10.2017

The General
Managers,
All Indian Railways,
& Production Units.

The Director General,
RDSO, Lucknow.
NAIR, Vadodara.

The Director,
IRICEN, Pune.

✓
NER

कुर्नाल
डा. प्रसाद
Dy. CPM
COS/Bulding

Sub: Utilization of surplus railway land to encourage SC, ST & OBC employees.

Ministry of Railways vide Board's letter No. 2009/LML/16/3 dated 16.07.2010 has issued guidelines for licensing of surplus railway land to railway employees coming under Group C & D belonging to SC/ST/OBC and the economically weaker section of the society. These instructions should be reiterated down below so that all Group 'C' and 'D' staff are aware of the same.

276

Banerjee
(S. Banerjee)
Dy. Director/LML-II
Railway Board.

Ruling
[Signature]
11/11/17

R 722
31/10